

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 5019/2022

—अपीलार्थी

अजय कुमार जैन (कर्मचारी आई.डी. :- आरजेबीपी200507037261)

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय,
राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.09.2022

आदेश की दिनांक : 10.11.2022

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

एम.एस. काला, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी प्रधानाचार्य के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, एकता भरतपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा उसका स्थानान्तरण/पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Deoli--Auwa, Pali स्थानान्तरण किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को प्रार्थी के स्थान पर समंजन करने की दृष्टि से किया गया है। अपीलार्थी 40 प्रतिशत स्थायी निशक्त व्यक्ति है, फिर भी उसका स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध जाकर किया गया है। वर्तमान में अपीलार्थी का स्थानान्तरण काफी दूर किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी गंभीर बिमारी से ग्रसित है। अपीलार्थी के लीवर व पित्ताशय में बिमारी है। ऐसे में वर्तमान स्थान से 450 किमी. दूर स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है।
3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया। अपीलार्थी ने स्वयं को 40 प्रतिशत स्थायी निशक्तता बताई है, जो उसकी दृष्टि से संबंधित है। इकसे अलावा अपीलार्थी ने

स्वयं को अन्य बिमारियों से ग्रसित होना भी बताया है। ऐसे में दूर स्थानांतरण से अपीलार्थी को असुविधा होगी।

4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन आदेश की दिनांक से 4 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 6 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण न किये जाने तक अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक-1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक के लिए स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावे जहाँ वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।
5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम.एस. काला)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)